

12

प्ररूप-2 क
(नियम 4 देखिये)

621

2.46 PM

22/4/14

✓

22/4/14

नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग-1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र

से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ ।

अभ्यर्थी का नाम

पिता/माता/पति का नाम

उसका डाक का पता

उसका नाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र [में समाविष्ट

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं0..... में क्रम सं0

पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम है जो

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र [में समाविष्ट

विधान सभा

निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं0..... में क्रम सं0

पर प्रविष्ट है ।

तारीख (प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग-2

13

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किये जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए 18 निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम परमानंद गोदे

पिता/प्राप्ति/प्रति का नाम रमेश गोदे

उसका डाक पता ग्राम पांडु-जैमशी १५०- नौरा, जिला-लखणऊ प्रभा- 841239

उसका नाम 18 निर्वाचन-क्षेत्र * (में समाविष्ट) ३२१७६

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक 105 में क्रम संख्यांक 697 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपर्युक्त हैं, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक				पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
1	जिरा३६६	105	1231	सुंगा-कुमार गोदे-	संजप छांगा गोदे	२२-५-२०१५
2	"	"	1079	दुनिकीर्ण गोदे-	दुज जनार गोदे	२२-५-२०१५
3	"	"	662	डिपुर गोदे-	डिपुर गोदे	२२-५-२०१५
4	"	"	८०३	द्वारका गोदे-	द्वारका गोदे	२२-५-२०१५
5	"	"	८१३	भवानी गोदे	भवानी गोदे	२२-५-२०१५
6	"	"	८९८	परमेश्वर गोदे	परमेश्वर गोदे	२२-५-२०१५
7	"	"	१०४७	आम-प्रदीप गोदे-	आम-प्रदीप गोदे	२२-५-२०१५
8	"	"	१०८३	विद्या-राजा गोदे-	विद्या-राजा गोदे	२२-५-२०१५
9	"	"	१२४१	आशा-कुमार गोदे-	आशा-कुमार गोदे	२२-५-२०१५
10	"	"	१२४३	सुविजय गोदे-	सुविजय गोदे	२२-५-१५

कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

भाग-3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि –

(क) मैंने 4.4 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

[नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में स्वतंत्र ~~समाज-पात्र~~ दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए।

या

(ii) मुझे इस निर्वाचन में स्वतंत्र ~~समाज-पात्र~~ दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है / मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में

(i) पारपाइ

(ii) पर्णग

(iii) प्रैष्ठर झौर हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर हिन्दी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

* मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं गोंड ~~जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो~~ 1947 राज्य के उस राज्य में के ~~सिवान~~ (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित ~~ज्ञाति/जनजाति है।~~

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में ~~****~~नाम निर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

परमानंद गोंड

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

* जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीप तथा लक्षद्वीप की दशा में “समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र” शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

*** लागू न होनेवाले शब्द काट दीजिए।

**** जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें – “मान्यताप्राप्त राजनैतिक” दल से निर्वाचन अयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

भाग-3 क
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा)

क्या अभ्यर्थी को—

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की—

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या हाँ / नहीं

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,
सिद्धदोष ठहराया गया है ; या नहीं

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके)
लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है
यदि उत्तर “हाँ” में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट

संख्याक्रम..... (ग्रुप- नंबर)-

(ii) पुलिस थाना

(थाने)..... (ग्रुप- नंबर)..... जिला (जिले)..... (ग्रुप- नंबर)..... राज्य.....

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था — (ग्रुप- नंबर)-

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/ (तारीखें) (ग्रुप- नंबर)-

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था (ग्रुप- नंबर)-

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें

(vii) कारागार से निम्नता की तारीख (तारीखें)..... (ग्रुप- नंबर)-

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ/नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां (ग्रुप- नंबर)-

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे..... (ग्रुप- नंबर)-

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित है..... (ग्रुप- नंबर)-

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो— (ग्रुप- नंबर)-

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें).....

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति).....

स्थान : (संस्कृत)

परमानंद ठोड़

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

भाग - 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भसा जाए)

नाम निर्देशन-पत्र की क्रम सं - २।

यह नामनिर्देशन मुझे / मेरे कार्यालय में २२-०४-१५ (तारीख) को १५६१७ बजे

* अस्थर्थी / प्रश्नात्मक छाता परिदृत किया गया ।

तारीख २२-०४-१५

* जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए ।


रिटर्निंग आफिसर

भाग - 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विविच्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विविच्चय करता हूँ : -

तारीख

रिटर्निंग आफिसर

(ठिकाना)



GOVT. OF BIHAR
Registration Excise & Prohibition Dep'tt.
SIWAN SCORE SIWAN

COURT FEE

Authorization No. 2497

માર્ગ
સંક્ષિપ્ત
ભારત
સરકાર
INDIA

SEARCHED
00000
INDEXED
000010

375267

JDIA

ВИНАГР

卷之三

प्र० 26''
(नियम 4क देखिए)



1972年4月

18 सिवान

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोक रामा (सदन का नाम) के लिए
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिज़ के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तृत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं परमाणुक ६१२ * * पुत्र/पुत्री/फली रुक्मि ५३१- ६१२

आयु 44 वर्ष, जो हात + पैर ० लैमरी ८४-८५

ପ୍ରିଲ୍ମ : ଶିବାନ୍ଦୁ ପିଲ୍ଲା 841239

(डाक का

पूरा पता लिखे) का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं—

(1) मेरा नाम संघर्ष समूह है (**राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा

किया गया अस्तर्थ / **एक स्वतंत्र अस्तर्थ के रूप में लड़ रहा है।

(**जो लायून हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम 18 सिलांग रोहदीप (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं.....

105 के क्रम सं 69 $\frac{1}{4}$ पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. ९९३१५५३४०५ है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो)
.....है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आयकर विवरणी फाइल करने की प्रारंभिति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1.	स्वयं	AUZP7 5965B	₹ ३८८/-	₹ ३८८/-
2.	पति या पत्नी	₹ ३८८/-	₹ ३८८/-	₹ ३८८/-
3.	आश्रित-1	₹ ३८८/-	₹ ३८८/-	₹ ३८८/-
4.	आश्रित-2	₹ ३८८/-	₹ ३८८/-	₹ ३८८/-
5.	आश्रित-3	₹ ३८८/-	₹ ३८८/-	₹ ३८८/-

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं। **नहीं**

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी :-

(i) निम्नालिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	₹ ३८८/-
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	₹ ३८८/-
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और सज्जान लेने के आदेश की तारीख	₹ ३८८/-
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	₹ ३८८/-

(इ.)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लाइ- ८७-
(छ)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई हैं/हैं	लाइ- ८७-

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है
(पूर्वोक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लाइ- ८७-
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लाइ- ८७-
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	लाइ- ८७-

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

J.V.

मुझे किसी अपराध (अपराधों) के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लाइ- ८७-
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदशों) की तारीख (तारीखें)	लाइ- ८७-

(ग)	अधिरोपित दंड	एांडु- नहीं-
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथिति	एांडु- नहीं-

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियाँ (जंगम और रथावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आरित्यों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तिंयों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणि 2 – जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित व्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3. – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहां आश्रित का वही अर्थ हैं जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पणि 5 – रकम सहित और प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं	विवरण	स्वय	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(ii)	हाथाते रुकुदी बैंक खाते में जमा के ब्यौरे नियमित शुगम, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं। विद्युत संस्थाओं, गैर बैंककारी विद्युतियों/प्रप्रिनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	10,000	5,000	₹ 50/-	₹ 50/-	₹ 50/-
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंपफ्रॉन्टों, डिवेचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	₹ 100/-	₹ 50/-	₹ 50/-	₹ 50/-	₹ 50/-

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसीयों में विनिधान के बौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं कित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	भु.॥-	भु.॥-	भु.॥-	भु.॥-	भु.॥-
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	भु.॥-	भु.॥-	भु.॥-	भु.॥-	भु.॥-
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	भु.॥-	भु.॥-	भु.॥-	भु.॥-	भु.॥-
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएँ) (भार और मूल्य के बौरे)	भु.॥-	भु.॥-	भु.॥-	भु.॥-	भु.॥-
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	भु.॥-	भु.॥-	भु.॥-	भु.॥-	भु.॥-
(ix)	समग्र कुल मूल्य	10.000	5.000	भु.॥-	भु.॥-	भु.॥-

आ. स्थावर आस्तियों के बौरे

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— इसके अन्तर्गत या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रमांक	स्वामित्व	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
1	कूपी टूमि की अवैस्थिति (वैवाहिकतया) सर्वेषां सञ्चालक (सख्ताएँ)	दे १९५ ११०० ३० 66	भु.॥-	भु.॥-	भु.॥-	भु.॥-
	क्षेत्र (एकड़े में कुल माप)	दे १९५	भु.॥-	भु.॥-	भु.॥-	भु.॥-
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	भु.॥-	भु.॥-	भु.॥-	भु.॥-
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	भु.॥-	भु.॥-	भु.॥-	भु.॥-	भु.॥-
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	भु.॥-	भु.॥-	भु.॥-	भु.॥-	भु.॥-

	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से सुधार पर कोई विनिधान	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०
(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1400 एकड़	कुमा०	कुमा०	कुमा०	कुमा०

	निमित्त क्षेत्र (वर्ग फ्लॉट में कुल माप)	400 वर्गफ्लॉट	भूमि	शुभा	भूमि	अप
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	विकास, संनिमार्ण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	अनुभानित चालू बाजार मूल्य	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	₹3000.00 (₹३०००/-)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक् विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वय	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	नाम: ब्रह्मदीप सरग, ऋण की प्रकृति कोइश्यु अन्य दाशित्वक	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	दायित्वों का कुल योग	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
(ii)	सरकारी शोध्य, सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य जॉल अपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि

	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-
(iii)	आय-कर शोध्य	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-
	धनकर शोध्य	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-
	सेवाकर शोध्य	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-
	नगरपालिका / संपत्ति कर शोध्य	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-
	विक्रयकर शोध्य	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-
	कोई अन्य शोध्य	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-
(iv)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-	शुल्क-
	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	नहीं-	नहीं-	नहीं-	नहीं-	नहीं-

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं कृषी

(ख) पति या पत्नी..... **कृष्णी**

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

ବ୍ୟାପକ ମିଡିଆ - ବିଭାଗ ପରିଚୟ - ବ୍ୟାପକ ମିଡିଆ ପରିଚୟ

લે સાચદ પિતૃ-શાંતિ-કાર્ય-જીવન-ગુણ-પ્રભાવ-

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यारे दैते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का लिखा दें। N



भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये व्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु0 ५२माइंड रोड-			
2	डाक का पता	ग्रामन पोर्ट लैमटी वारा, चौरा, वारा, जि-सुवारा प्र० ४११२३९			
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	13 लिंगार लैमटीप्र० ४११२३९ (विटा)			
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा खंतत्र लिखें)	कृष्णग राज्यप्र०			
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं। (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिन्न)	३१८८-			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमत्र 1951 की धारा ४ की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाएं)	३१८८-			
7		का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय	
	(क) अभ्यर्थी	AUZP6 5965B	३१८८-	९०.०००	
	(ख) पति या पत्नी	३१८८-	३१८८-	३१८८-	
	(ग) आश्रित	३१८८-	३१८८-	३१८८-	
8	आस्तियों के ब्यौरे (रूपरेखा में)				
	पिक्चर	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2
क	जंगल आश्रित्या (कुल मूल्य)	३१८८-	३१८८-	३१८८-	३१८८-



ख	स्थावर आस्तियां	कुल-	मुनि-	भूमि-	वस्त्र-	शुद्धि-
I.	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शुद्धि-	शुद्धि-	शुद्धि-	शुद्धि-	शुद्धि-
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शुद्धि-	शुद्धि-	शुद्धि-	शुद्धि-	शुद्धि-
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शुद्धि-	शुद्धि-	शुद्धि-	शुद्धि-	शुद्धि-
	(क) स्वअर्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	शुद्धि-	शुद्धि-	शुद्धि-	शुद्धि-	शुद्धि-
9	दायित्व	शुद्धि-	शुद्धि-	शुद्धि-	शुद्धि-	शुद्धि-
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शुद्धि-	शुद्धि-	शुद्धि-	शुद्धि-	शुद्धि-
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुद्धि-	शुद्धि-	शुद्धि-	शुद्धि-	शुद्धि-
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शुद्धि-	शुद्धि-	शुद्धि-	शुद्धि-	शुद्धि-
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुद्धि-	शुद्धि-	शुद्धि-	शुद्धि-	शुद्धि-



11	<p>उच्चतम शैक्षिक अर्हता : डॉक्टरेट ।</p> <p>विश्वविद्यालय - डॉक्टरेट - पंजाब - हर सांख्य मिस्ट्री (ए) डॉक्टर जॉले मेन: विवर - (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।</p>
----	---

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से मिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख २२।४।१३ को सत्यापित किया गया।

వ్రాంతి 215

अभिसाक्षी

टिप्पणी 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पणी 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पणी 3. सभी उत्तरों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित “शून्य” या “लागू नहीं होता” उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी: अ. हायपथपत्र दंकित या व्यापार्यरूप से साफ—साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य के मामाले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें हैं/हैं.....

मेरा ई-मेल आईडी० (अगर कोई हो) _____

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) _____

टिप्पण-7 शपथ पत्र के पारा 8 में वित्तीय संस्थानों के प्रति दायित्वों में विदेशी बैंकों/संस्थाओं में जमा/निवेश सहित सूचना दें।

